

21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के रांग अभियान के साथ ~~जो मय~~... में पेश हुई। प्रस्तुत कारवाही / प्रतिवादी हाथिर। प्रशासन गाँवों के रांग अभियान में पत्रकारानों के बीच आपसी सहमति नहीं होने से पत्रावली आगामी दिनांक ~~2/2/22~~ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी / रीडर
माण्डलमद

2/2/22

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण साप्ताहिकी जॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार जॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 11/5/22 को पेश हो।

11/5/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी पतिवदो उपस्थिति पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्य~~ पधार है। पत्रावली वास्ते ~~तलसी~~ आयन्दा दिनांक 2/8/22 का पेश हो।

2/8/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी पतिवदो उपस्थिति पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्य~~ पधार है। पत्रावली वास्ते ~~तलसी~~ आयन्दा दिनांक 18/11/22 का पेश हो।

16/11/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आभे वादी पतिवदो उपस्थिति पीठासीन अधिकारी ~~अन्य कार्य~~ पधार है। पत्रावली वास्ते ~~तलसी~~ आयन्दा दिनांक 30.01.23 का पेश हो।

30/01/23

पत्रावली पेश हुई। वादी व अधिवक्ता वादी को तीन आवाजे दिलाई गईं और उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अन्तर्गत धारा 53-88-188 राज. कर अधिनियम इतीस्तर पर अदम हजार व अदम पैरवी पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुभान होकर नम्बर से कम है। L A S